



इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

Allahabad State University, Allahabad

पत्रांक: ३०२१०वि०वि०/सम्बद्धता/३५७/२०१८

दिनांक: ३०/०५/२०१८

सम्बद्धता आदेश

उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम २०१४) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १४ सन् २०१४) की धारा-३७(२) के परन्तुक के अधीन कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में मा० कुलपति जी के आदेश दि० ३०.०५.२०१८ के अनुपालन में शम्भूनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, झलवा, इलाहाबाद, उ०प्र० को एल०एल०बी० पांचवर्षीय पाठ्यक्रम के संचालनार्थ स्वयत्तपंथित योजनामार्गत संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र २०१८-१९ हेतु सम्बद्धता विस्तारण प्रदान की जाती है-

- संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-२८५१/सत्तर-२-२००३-१५(३२)/२००२, दिनांक ०२ जुलाई २००३ में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
- संस्था/महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता की शर्तें महाविद्यालय निरन्तर पूरी कर रहा है।
- संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम/परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा में उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- संस्था/महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के अधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित पत्रों/सूचनाओं के अभाव पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों का बायोडाटा, आधार-कार्ड, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने के साथ अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेंगे।
- मा. उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-६१८५९/२०१२ में पारित आदेश दिनांक २०.१२.२०१२ के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/विद्युतित के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-६२२/सत्तर-२-२०१३-२(६५०)/२०१२ दिनांक ३० अप्रैल २०१३ का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
- संस्था/महाविद्यालय द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेगी।
- संस्था/महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या-४२१/सत्तर-१-२०१५-१६ (२०)/२०११, दिनांक २२ मई २०१५ के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
- संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी।

डॉ० (साहब लाल भौर्य)
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेशित -

- प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग ६, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- प्रबन्धक, शम्भूनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, झलवा, इलाहाबाद, उ०प्र०।
- परीक्षा निगंत्रक, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
- निजी सचिव कुलपति को कुलपति जी के सूचनार्थ।
- विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं कॉलेज लॉगिन पर अपलोड करना हेतु।

कुलसचिव